Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

नारी शक्ति के दस वर्ष

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

PRADHAN MANTRI SURAKSHIT MATRITVA ABHIYAAN
9th of Every Month

Research Team

Abhay Singh
Research Associate
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Manujam Pandey
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Design

Ajit Kumar Singh
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

विषय सूची

1	भूमिका	4
2	महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास तक	5
3	महिला सशक्तीकरण को समर्पित मोदी सरकार, राष्ट्र की विकास गाथा में महिलाओं का बड़ा योगदान **- मनीष कुमार**	11
4	महिलाओं के सशक्तिकरण के दस वर्ष **- दीक्षा त्रिपाठी**	14

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

भूमिका

भारत का विकास दरअसल देश की महिलाओं के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है. इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने बीते दस वर्षों में नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखा है. प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि सशक्तिकरण वन स्टॉप समाधान नहीं है, बल्कि इसके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए जीवनचक्र आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है. इस संबंध में महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम इस तरह से तैयार किए गए हैं कि जीवन के विभिन्न चरणों में उनके सशक्तिकरण के लिए सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करने में उनकी सहायता की जा सके.

ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम वर्षों पुरानी मांग को मोदी सरकार ने पूरा किया. इसी प्रकार मिशन पोषण एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है ताकि बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा सके. मिशन शक्ति की बात करें तो इसमें महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए दो उप योजनाएं संबल और सामर्थ्य शामिल हैं. नारी अदालत एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ की मौजूदा योजनाओं को संबल, उप-योजना का हिस्सा बनाया है.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए पहल का प्रभाव परिणामों में स्पष्ट हो रहा है. जैसे कि शिशु जन्म दर में बेहतर लिंगानुपात, जो अब पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हुआ है. वहीं संस्थागत प्रसव में वृद्धि, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है.

महिलाओं को सम्मान भरा जीवन प्रदान करना प्रधानमंत्री मोदी का एक बुनियादी वादा है. यह वादा उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडरों के बढ़ते उपयोग में प्रकट होता है, जिसने धुआं मुक्त रसोई के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को श्वसन संबंधी बीमारियों से बचाया है.

स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के साथ करोड़ों महिलाएं अब बिना किसी असुरक्षा की भावना और सम्मान के उल्लंघन के अपने घरों में शौचालय का उपयोग कर रही हैं. दैनिक खपत के लिए पानी लाने के लिए लम्वी दूरी तय करना अतीत की बात होती जा रही है क्योंकि देश भर के घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल के पानी के कनेक्शन मिल रहे हैं.

महिला सशक्तिकरण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर निर्भर है. मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों में महिलाओं को लगभग 70 फ़ीसदी ऋण दिया गया. इस के माध्यम से देश भर की करोड़ों महिलाओं ने सूक्ष्म स्तर की उद्यमशीलता को आगे बढ़ाया गया है. महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर उन्हें सक्षम बनाया जा रहा है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को घर का मालिक बनाया जा रहा है, इस प्रकार वे घरेलू निर्णय लेने में सक्रिय भागीदार बन रही हैं. मोदी सरकार के दस वर्षों में महिलाएं लगातार ताकतवर होती गई हैं. उनकी सफलता को महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देश के लिए खिलाड़ियों द्वारा जीते गए सम्मान और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या से देखा जा सकता है.

इन दस वर्षों में महिलाओं का विकास नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास बन गया है. इस ई-बुकलेट में नारी शक्ति के दस वर्ष के प्रमुख बिन्दुओं का एवं लेख का संकलन किया गया है.

डॉ अनिर्बान गांगुली

चेयरमैन - डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन,

महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास तक

"Our Vedas and tradition have given a call that women should be able and capable to give direction to the nation"

- PM Narendra Modi

भारत की विकास यात्रा, देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इस महत्वपूर्ण संबंध की पहचान करते हुए, केंद्र सरकार ने पिछले नौ वर्षों में नारी शक्ति को अपने एजेंडे में सर्वोपरि रखा है। सरकार मानती है कि महिला सशक्तिकरण एक बार में हल किया जाने वाला समाधान नहीं है; इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो जीवन-भर उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। इस संबंध में, महिलाओं का विभिन्न चरणों में समर्थन करने के लिए कई कल्याण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, ताकि उन्हें सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने और संपूर्ण सशक्तिकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

- महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के साथ नारी शक्ति अधिनियम पारित।
- राष्ट्रीय लिंगानुपात पहली बार बेहतर होकर 1020 हो गया।
- सवैतनिक मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।
- पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 4.73 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की गई।
- 3.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना खाते।
- एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर लगभग 10 करोड़ रसोईघरों को धुआं-मुक्त किया गया।
- पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 72 प्रतिशत स्वामित्व महिलाओं के नाम।
- एमएमआर, 2014-16 के 130/लाख जीवित जन्मों से सुधरकर 2018-20 में 97/लाख जीवित जन्म हो गया।
- मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु तीन तलाक की प्रथा की समाप्ति।
- पीएमएमवाई के तहत महिला उद्यमियों को 69 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किए गए हैं और स्टैंड-अप इंडिया के तहत 84 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं।
- 12 शस्त्र बलों और सेवाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया।
- तीनों सेनाओं में अग्निवीर के रूप में महिलाओं का प्रवेश शुरू हुआ।
- भारत में 43 प्रतिशत एसटीईएम स्नातक महिलाएं हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं।

नारी शक्ति अधिनियम- अमृत-पीढ़ी का क्षण

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पारित किए जाने के माध्यम से इस यात्रा की उपलब्धि हासिल की गई। यह अधिनियम महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि अमृत काल के लिए भूमिका निर्धारित करते हुए नए संसद भवन में सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक पर विचार-मंथन हुआ।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ- महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना उन प्रमुख पहलों में से एक है, जिसने लड़के-लड़कियों के बीच भेदभाव से निपटने और बालिकाओं के महत्व को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को साथ जोड़ा और प्रेरित किया। प्रत्येक स्तर पर, इस योजना ने सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कर्मठता से काम किया है। जन्म के समय लिंग चयन न करने की वकालत करते हुए और उनके शैक्षिक विकास में सहायता के लिए सकारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित कर बीबीबीपी एक सकारात्मक बदलाव लायी है। पिछले कुछ वर्षों में, जन्म के समय लिंगानुपात में सराहनीय सुधार हुआ है, जो 918 (2014-15) से 19 अंक की वृद्धि के साथ 937 (2020-21) हो गया। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 2014-15 में 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 79.46 प्रतिशत हो गया, जो महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इसके अलावा, देश में पहली बार कुल जनसंख्या का लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं) 1020 (एनएफएचएस-5, 2019-21) तक पहुंच गया है।

मातृत्व का उत्सव मनाना

भारत को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने 8 मार्च, 2018 को पोषण अभियान शुरू किया। कुपोषण की समस्या से समग्र रूप से निपटने की दिशा में यह मिशन विभिन्न हितधारकों का एक समन्वित मंच है। एक मजबूत आईसीटी सक्षम प्लेटफॉर्म-पोषण ट्रैकर की सहायता से वास्तविक समय में पूरक पोषण की निगरानी और सेवाओं का त्वरित पर्यवेक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ियों की सहभागिता और लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों का कवरेज इस पहल के माध्यम से प्राप्त प्रभाव के स्तर को दर्शाता है।

सवैतनिक मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। कामकाजी माताओं को बेहतर सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन पारित किया गया। यह महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन नई माताओं को प्रसव से उबरने, अपने शिशुओं के साथ जुड़ने और उनका समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय देने के महत्व को पहचानता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास और वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के महत्व को पहचानते हुए, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की शुरुआत की। उल्लेखनीय

तथ्य यह है कि इस योजना के तहत प्रदान किए गए 72 प्रतिशत से अधिक घर या तो पूर्ण रूप से या फिर संयुक्त रूप से महिलाओं के स्वामित्व में हैं। महिलाओं को घरों का स्वामित्व प्रदान करके, पीएमएवाई-जी ने उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया है और उन्हें घरेलू निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु सशक्त बनाया है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत मई 2016 में की गई थी। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन (एलपीजी) प्रदान करना है। पीएमयूवाई के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शनों के वितरण ने लाखों महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा की है और उन्हें खाना पकाने के ईंधन के रूप में जलावन वाली लकड़ी, गाय के सूखे गोबर आदि जैसे पारंपरिक बायोमास ईंधन के उपयोग के खतरों एवं इसके परिणामस्वरूप घरों के भीतर पैदा होने वाले वायु प्रदूषण से मुक्त किया है।

स्वच्छ भारत मिशन

महिला सशक्तिकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू स्वच्छता की सुलभता है। स्वच्छता की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को महसूस करते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य देश के सभी घरों में शौचालय उपलब्ध कराना है ताकि बेहतर स्वच्छता और साफ-सफाई सुनिश्चित की जा सके और 2 अक्टूबर 2019 को, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित एसडीजी-6 लक्ष्य से 11 साल पहले, ग्रामीण भारत खुले में शौच-मुक्त (ओडीएफ) बन गया। "शौचालय की सुलभता और ग्रामीण भारत में महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और आत्म-सम्मान (एक्सेस टू टॉयलेट्स एंड द सेफ्टी कन्वीन्यन्स एंड सेल्फ-रेस्पेक्ट ऑफ वीमेन इन रूरल इंडिया)" शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार, शौचालयों के निर्माण के बाद, 93 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि उन्हें अब शौच के दौरान जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने, स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण से ग्रसित होने और रात के अंधेरे में शौचालय जाने का डर नहीं है। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता और उनके नियमित उपयोग ने महिलाओं के कल्याण और उनकी गरिमा को सुनिश्चित करने में काफी योगदान दिया है, जोकि एक स्वच्छ एवं स्वस्थ राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

जल जीवन मिशन

स्वच्छ पेयजल की सुलभता समुदायों, विशेषकर महिलाओं के कल्याण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस

समझ के साथ, सरकार ने 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। प्रत्येक ग्रामीण घर और सार्वजनिक संस्थान को नल का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, इस मिशन के तहत 14.45 करोड़ घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करके, इस मिशन का उद्देश्य लंबी दूरी से पानी लाने के क्रम में महिलाओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है। इस परिवर्तनकारी पहल ने महिलाओं को सशक्त बनाया है और पानी, स्वच्छता एवं साफ-सफाई से जुड़ी आदतों के महत्व के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक बनाने में योगदान दिया है।

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

वित्तीय सशक्तिकरण

महिलाओं का सशक्तिकरण उनके आर्थिक सशक्तिकरण पर निर्भर है। इसीलिए सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। स्टैंड-अप इंडिया योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के बीच ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। इसी तरह, पीएमएमवाई का लक्ष्य गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीएमएमवाई के तहत महिला उद्यमियों को लगभग 69 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किए गए हैं और स्टैंड-अप इंडिया के तहत 84 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र को केंद्रीय बजट 2023-24 के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो विशेष रूप से महिला निवेशकों के लिए एक छोटी बचत योजना है। इन पहलों ने महिलाओं को अपना रास्ता तय करने और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने में सक्षम बनाया है।

सुरक्षा एवं संरक्षा

मिशन शक्ति सरकार का एक और महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना है। इस मिशन का उद्देश्य कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता और सूक्ष्म ऋण तक पहुंच के माध्यम से महिलाओं पर लैंगिक पूर्वाग्रह, भेदभाव और देखभाल की जिम्मेदारी का समाधान करना है। वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) के माध्यम से एक ही जगह प्रदान की जाने वाली एकीकृत सेवाएं, जैसे पुलिस, चिकित्सा और कानूनी सहायता, परामर्श और मनो-सामाजिक सहायता, हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए व्यापक सहायता सुनिश्चित करती हैं। एक टोल-फ्री महिला हेल्पलाइन (181) आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता भी प्रदान करती है। मिशन शक्ति ने महिलाओं को आगे बढ़ने और समाज में सक्रिय योगदान देने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार किया है।

तीन तलाक की प्रथा की समाप्ति

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 भारत में 19 सितंबर, 2018 को लागू किया गया था। यह अधिनियम तीन बार तत्काल तलाक का उच्चारण करने की प्रथा, जिसे आमतौर पर तीन तलाक के रूप में जाना जाता है, को शून्य और अवैध बनाता है। यह तत्काल तीन तलाक की प्रथा में शामिल होने वाले पतियों के विरुद्ध तीन साल तक की कैद और जुर्माने सहित दंड लगाता है। तीन तलाक कानून को लागू करके, भारत सरकार का लक्ष्य उन मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है, जो कई दशकों से इस प्रतिकूल प्रथा का शिकार थीं। इस महत्वपूर्ण सुधार से मुस्लिम महिलाओं की समग्र स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे वे घरेलू हिंसा और समाज में पहले से होने वाले भेदभाव से बच सकी हैं।

महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर

दस वर्षों के दौरान सरकार के प्रयासों से महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और महिला एथलीटों ने अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों से देश का नाम रोशन किया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) के क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश में भी अत्यधिक वृद्धि देखी गई है।

महिलाओं को कल्याण का लाभ लेने से सशक्तिकरण के एजेंट के रूप में परिवर्तित करके, सरकार अपने देश की महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव लाने में सफल रही है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उद्यमिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तक, इन पहलों ने महिलाओं के जीवन में जबरदस्त सुधार लाए हैं तथा देश की समग्र प्रगति में योगदान दिया है। आज बात सिर्फ महिलाओं के विकास की नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास की है।

PRADHAN MANTRI SURAKSHIT MATRITVA ABHIYAAN
9th of Every Month

महिला सशक्तीकरण को समर्पित मोदी सरकार, राष्ट्र की विकास गाथा में महिलाओं का बड़ा योगदान

- मनीष कुमार

आजादी के बाद से मोदी सरकार मे महिला सशक्तीकरण को लेकर जितने कदन उठाए हैं, उतना पहले कभी नहीं उठाया गया. पीएम मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि देश के विकास में महिलाओ का योगदान सबसे अग्रणी है. ऐसे में साल 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही पीएम मोदी ने महिलाओं के विकास के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं को 'सुविधा, सुरक्षा, सम्मान' प्रदान करने के लिए लगातार तत्पर है. गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला, महिला शौचालयों के लिए स्वच्छता और घरों में नल के पानी के लिए जल-जीवन जैसी विचारपूर्वक बनाई गई योजनाओं ने न केवल महिलाओं के जीवन को सरल बनाया, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान के साथ आत्मविश्वास की भावना भी प्रदान की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में अग्रणी स्थान दिया है. मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए दो उप-योजनाएं 'संबल' और 'समर्थ' शामिल हैं. इस दृष्टिकोण का प्रभाव परिणामों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे लिंग-अनुपात में सुधार, जो अब पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, चिकित्सा संस्थानों में प्रसव में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में गिरावट और मातृ

मृत्यु दर में कमी देखी जा सकती है.

लोन स्कीम में महिलाएं

महिला सशक्तीकरण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर निर्भर है. मुद्रा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक महिलाओं को 68% ऋण प्रदान किये गए हैं. इसने देश भर में करोड़ों महिलाओं को उद्यमी बनाकर वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने में सक्षम किया है. देश में 3.18 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले गए हैं. महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को केंद्रीय बजट 2023-24 के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था. यह महिला निवेशकों के लिए एक छोटी बचत योजना है.

भारतीय राजनीति के लिए मील का पत्थर

महिलाओं के अधिकार के लिए काम कर रही अदिति अनंत नारायण का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार का मुख्य फोकस महिलाओं के विकास को बढ़ावा देकर उन्हें समाज मे सामान अधिकार देने का रहा है. उनका मानना है कि महिला आरक्षण बिल का पास हो जाना, भारतीय राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है. महिलाओं के सशक्तीकरण और विकास मे शिक्षा की भूमिका सबसे अग्रणी मानी जाती है. केंद्र सरकार की नीतियां भी महिलाओं के शिक्षा पर केंद्रित कही जा सकती हैं. प्रसिद्ध शिक्षाविद और जारो एजुकेशन की रंजीता रमन का कहना है कि मोदी सरकार ने महिलाओ के उत्थान के लिए जो काम किए हैं. अब तक किसी सरकारों ने नहीं किये. रंजीता रमन का मानना है केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से महिलाओं के शिक्षा पर फोकस किया है, उससे महिलाओ के जीवन स्तर मे खासा सुधार आया है. रंजीता रमन का मानना है कि शिक्षा महिलाओं के उत्थान में अहम् रोल निभा रहा है, महिलाओ का विकास दूसरे महिलाओं के लिए रोल मॉडल का काम करती है. सशक्त महिला आज समाज में लीडरशिप रोल में है, जो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है.

करोड़ों महिलाओं को लाभ

मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर बनाई योजनाओं का नाम भी ऐसे रखा, जो सीधे महिलाओं के दिल को छू रही है. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं को गैस सिलेंडर देना, जनधन योजना के तहत खाता खुलवाना, मुस्लिम महिलाओं को लेकर तीन तलाक को कानूनी रूप से खत्म करना जैसे विधेयक ने पीएम मोदी के कदम को बढ़ाया. ये योजनाएं हैं, जिससे 20 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं, 5 करोड़ से ज्यादा स्कूलों छात्राओं और 11 करोड़ से ज्यादा कामकाजी महिलाओं को लाभ पहुंचा है.

महिलाओं को लेकर मोदी सरकार की योजनाएं

1. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना.

2. सुकन्या समृद्धि योजना.

3. महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने से आर्थिक रूप से मजबूत होना.

4. महिला सम्मान बचत पत्र योजना के जरिए 2 लाख रुपये तक निवेश पर 7.5 फीसदी ब्याज मिलना.

5. ग्रामीण महिलाओं के लिए महिला शक्ति केंद्र स्कीम लाना.

6. मैटरनिटी लीव 12 की जगह 26 हफ्ते करना.

7. प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को बच्चे के जन्म पर 5000 रुपये देना.

8. मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक पर कानूनी पाबंदी लाया.

9. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कलनेक्शन और सिलिंडर देना.

10. महिला ई-हाट स्कीम शुरू करना.

11. महिलाओं के लिए कई स्टार्टअप स्कीम.

12. महिला पोषण अभियान.

13. महिला हेल्पलाइन स्कीम योजना.

14. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना.

15. फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत हर राज्य में सालाना 50 हजार से अधिक सिलाई मशीन फ्री में देना.

16. आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक फ्री में इलाज.

17. वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम चालू करना.

18. वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जिसके तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सभी तरह की मदद एक ही छत के नीचे मिलना.

19. मातृत्व वंदन योजना के तहत गर्भ में बच्चों को पौष्टिक आहार योजना.

20. शिशु का जन्म अस्पताल में कराने का बड़ा अभियान चला.

21. बेटियां स्कूल न छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाने का अभियान.

22. बेटियों के पानी देने के लिए हर घर पाइप से पानी देने का अभियान.

23. सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना.

24. पीएम आवास योजना के तहत बेटियों को संयुक्त भागीदारी का हक देना.

25. महिलाओं को बैंक से बिना गारंटी वाली मुद्रा योजना की शुरुआत.

26. इस साल लालकिले से 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना की शुरुआत.

27. शेर-भेर ग्रुप की महिलाओं को लोन देने की योजना की शुरुआत.

28. सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देना.

(लेखक न्यूज़ 18 से जुड़े हैं. प्रस्तुत विचार लेखक के निजी हैं)

महिलाओं के सशक्तिकरण के दस वर्ष

- दीक्षा त्रिपाठी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए देश का हर नागरिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है. किसान से लेकर नौजवान, श्रमिक से लेकर व्यापारी, देश का हर वर्ग उत्साहित है. प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि देश के लिए यह शुभ संकेत है कि देश का नागरिक भी खुद को इन लक्ष्यों से जोड़कर अगले 25 वर्ष की ओर देख रहा है.

पिछले दस वर्षों में देश महिलाओं के नेतृत्व में विकास की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है. भारत इन प्रयासों को वैश्विक मंच तक ले जा रहा है, पिछले वर्ष भारत जी-20 की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विश्व में अपनी स्थिति को प्रमुखता से दर्ज करा रहा है.

नारी शक्ति दृढ़ता, इच्छा-शक्ति, परिकल्पना, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करने की क्षमता और कठोर

परिश्रम का परिचायक है, जैसा कि 'मातृ शक्ति' में परिलक्षित होता है. आज महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के परिणाम स्पष्ट नजर आते हैं और हम देश के सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं.

पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है, तथा हाई स्कूल और उसके बाद की पढ़ाई में लड़कियों की संख्या भी पिछले नौ-10 वर्षों में तिगुनी हो गई है. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित में लड़कियों का नामांकन आज 43 प्रतिशत है, जो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों से अधिक है. चिकित्सा, खेल, व्यापार या राजनीति जैसे क्षेत्रों में, न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, बल्कि वे आगे बढ़कर नेतृत्व भी कर रही हैं.

मुद्रा ऋण की 70 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं. इसी तरह, महिलाएं स्वानिधि के तहत बिना किसी जमानत के ऋण योजनाओं, पशुपालन, मत्स्यपालन, ग्रामीण उद्योग, एफपीओ की संवर्धन योजनाओं तथा खेल योजनाओं से भी लाभ उठा रही हैं.

पीएम आवास योजना के लिए 80 हजार करोड़ रुपये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है, क्योंकि तीन करोड़ से अधिक आवास महिलाओं के नाम पर हैं. महिला सशक्तिकरण वाले पक्ष पर जोर दिया, क्योंकि यह सर्वविदित है कि पारंपरिक रूप से महिलाओं के नाम पर कोई सम्पत्ति नहीं होती. पीएम आवास ने घरों के आर्थिक निर्णयों में महिलाओं को नई आवाज दी है.

आज पांच गैर-खेतिहर व्यापारों में से एक व्यापार किसी न किसी महिला द्वारा चलाया जा रहा है. पिछले दस वर्षों में सात करोड़ से भी अधिक महिलाएं स्व-सहायता समूहों में शामिल हुई हैं. उनकी मूल्य-श्रृंखला को उनकी पूंजी आवश्यकता से समझा जा सकता है, क्योंकि इन स्व-सहायता समूहों ने 6.25 लाख करोड़ रुपये के ऋण लिए हैं.

श्री अन्न को प्रोत्साहित करने में महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका उल्लेखनीय है. श्री अन्न के विषय में पारंपरिक अनुभव रखने वाली एक करोड़ से अधिक जनजातीय महिलाएं इन स्व-सहायता समूहों का हिस्सा हैं.

आज देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है. देश की बेटियों को देश की सुरक्षा करते और राफेल विमान उड़ाते देखा जा सकता है, और जब उन्हें उद्यमी बनते, निर्णय लेते व जोखिम उठाते देखा जाता है, तो उनके बारे में विचार बदल जाते हैं.

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि, ''यह हम पर निर्भर करता है, हम सब पर, कि प्रगति को तेज करें। इसलिये, आज, मैं आप सबसे यह आग्रह करना चाहती हूं कि आप खुद में, अपने परिवार में, पड़ोस या काम करने के स्थान पर कम से कम एक बदलाव लाने का संकल्प करें – कोई भी बदलाव जो किसी लड़की के चेहरे पर मुस्कान ला दे, कोई भी बदलाव जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए उस लड़की का अवसर निखार दे। एक यही अनुरोध है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, सीधे हृदय की गहराइयों से''

(लेखिका काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में शोध की छात्रा हैं. प्रस्तुत विचार लेखक के निजी हैं.)

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee

Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

Phone: 011-69047014

@spmrfoundation